अधिकार है कि चुनाव 25 सितम्बर के पहले कराया जाए। अब चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि निश्चित की है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे स निर्णय पर अटल रहें। भारत सरकार का चुनाव आयोग कुछ लोगों के द्वारा अपनाई जा रही दबाव की नीति के आगे न झुकें।

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर किस प्रकार दिया जाये क्योंकि प्रस्ताव में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त भी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में अन्य बहुत सी बातें सम्मिलित कर दी हैं।

श्री अशोक मेहता का भाषण मैंने एक बार पहले भी सुना था। कुछ माननीय सदस्य एक बड़े समझौते की कल्पना कर रहे है किन्तु वास्तविकता यह है कि अपने दल के सदस्यों का भी समर्थन नहीं प्राप्त कर सके। श्री डांगे ने भी ऐसे सदस्यों को इस सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं कि छाया-सरकार में किस-किस को क्या-क्या पद दिये जायें। किन्तु मेरा निवेदन है कि उनकी सभी आशाओं पर पानी फिर गया है तथा किसी छाया-मंत्रिमंडल की कोई छाया भी दृष्टिगोचर नहीं होती।

अश्विास प्रस्ताव को चार आधारों पर लाया गया है। सरकार पर पहला आरोप यह लगाया गया हैं कि केरल के चुनावों में धोखा किया जा रहा है। विधि मंत्री तथा अन्य साथियों ने यह बताया है कि मतदाता सूचियों को इस वर्ष के जनवरी मास में पुनरीक्षित किया गया था तथा उप-चुनाव उसी के पश्चात कराये गये थे। चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने के सम्बन्ध में भी कोई शिकायत नहीं मिली हैं।

जहाँ तक मतदाता सूची के छपे हुए फार्मों का सम्बन्ध है वे वही हैं जहां उनको होना चाहिए यथा इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयुक्त ने सब कुछ बता दिया है। सरकार निर्वाचन आयुक्त का किन्हीं शिकायतों की ओर ध्यान ही दिला सकती है वह उसके कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मुझे इस बात पर गर्व है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में चुनाव उचित रूप से किये गये हैं तथा प्रत्येक दल के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए जनता को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। जनता के जिस दल को चाहा है उसे चुना है तथा जिसको नहीं चाहा उससे सत्ता भी छीन ली है। ......(**व्यवधान**)

इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के साथ-साथ न्यायालय भी विद्यमान है जो हमारे निर्वाचनों को दोष रहित ढंग से पूर्ण करने का ध्यान रखते हैं। अतः चुनाव पद्धति में किसी प्रकार की आंशका करना उचित नहीं है।

इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि एक राज्य सरकार जो अपनी राजनीतिक जागरुकता तथा अच्छी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है वह मतदाता सूची पद्धति में अनायास कैसे विघ्न डालना चाहती है। श्री गोपालन इस सम्बन्ध में मुझ से मिलने आये थे तथा मैंने उनसे निवेदन किया था मैंने इस मामले के निर्वाचन आयुक्त को भेज दिया है। मैं सदन को विश्वास

दिलाना चाहती हूं कि सरकार उचित चुनावों के पास में है। हमें इस बात का कोई रुचि नहीं है कि कौन सा दल विजयी होता है। यह बात दूसरी है कि प्रत्येक दल की यह कामना रहती है कि उसके दल की विजय हो किन्तु इसका यह आशय नहीं कि चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी की जाए।

अविश्वास प्रस्ताव में एक नई बात अवश्य दृष्टिगोचर हुई है और वह है गठबन्धन। श्री चन्द्रजीत यादव ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा उन्होंने हमेशा की भाँति समाजवाद और राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध बहुत सी बातें कहीं हैं।

मेरे कुछ सहयोगियों और सचिवालय के विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। मुझे उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हैं। मुझे इस बात का अवश्य दुःख हैं कि कुछ सदस्य प्रत्येक मामले को जातियतावाद और संगीयतावाद का पुट देते हैं।

यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि इस प्रस्ताव में वैयक्तिक आरोप के लिए मुझे लक्ष्य बनाया गया है कि मैंने शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया है। मंत्रिमण्डल में हाल ही में किये गये फेर-बदल का उल्लेख किया गया है तथा मंत्रिमंडल-सचिवालय में कुछ विभागों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि प्रधान-मंत्री सचिवालय को मैंने तो नहीं बनाया। उनकी सत्ता तो बहुत पहले से विद्यमान है तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसका वर्तमान स्वरूप बनाया था। सचिवालय में कार्य कर रहे अधिकारियों के सम्बन्ध में सदन में दिए गए उत्तरों के पश्चात उनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही किए जाने का विचार है।

मंत्रिमडल सचिवालय का कार्य सरकार के मन्त्रालयों में प्रभावोत्पादक समन्वय बनाए रखने का है। आर्थिक समन्वय सम्बन्धी कार्य भी यह सचिवालय करता है जो पहले योजना आयोग द्वारा किया जाता था। मंत्रिमंडल सचिवालय में तीन विभाग, पर्सनल, इलैक्ट्रोनिक्स तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान मिलाये गए हैं। पर्सोनल विभाग की स्थापना प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी की गई है और उसे इस सचिवालय के अन्तर्गत रखा गया है।

जहां तक गुप्तचर एजेंसियों का संबंध है, सभी जानते हैं, कि इंगलैंड में ये एजेंसियां प्रधान मंत्री के अधीन होती हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए होते हैं। अतः इसे पर्सोनल विभाग का एक अंग होना ही चाहिए।

राजस्व आसूचना निदेशालय को वित्त मंत्रालय से निकालकर मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत रखा गया था। जिससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सके। केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विभाग इस प्रकार के अपराधों का निपटारा करता रहा है अतः राजस्व आसूचना निदेशालय का मंत्रिमंडल सचिवालय से गहरा संबंध था।

जहां तक नियुक्तियों संबंधी समिति का सम्बन्ध है मैं सभा को सूचना देना चाहती हूं कि उस समिति में चावन जी तथा उनके साथ अन्य सम्बद्ध व्यक्ति उन समितियों में रहेंगे। मैं यह

भी बता देना चाहती हूं कि इन समितियों का कार्य मतदान के आधार पर नहीं होता । सदस्यगण साथ बैठकर परस्पर विचार विमर्श करते हैं तथा मामलों पर निर्णय करते हैं ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि आरम्भ से ही वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का पहले अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है । अतः इस विभाग को सचिवालय के अन्तर्गत लाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

इलेक्ट्रोनिक्स के बारे में भाषा प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद से भारत में इलेक्ट्रोनिक्स के भावी विकास के सम्बन्ध में दोनों सदनों में विचार विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की गई है । देश में इलेक्ट्रोनिक्स के भावी विकास की महत्ता अधिक हो गई है क्योंकि इसकी आवश्यकता केवल प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों के लिए ही नहीं है वरन् संचार और रेडियो आदि में भी इसकी आवश्यकता है । इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग के उत्पादों की सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में खपत हो रही है । सरकार इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में विशेष गति लाने के लिए एक विशेष व्यवस्था करना चाहती है तथा इसी उद्देश्य से इस विभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत लिया गया है ।

सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में कई भ्रामक बातें कही गई है । मेरा निवेदन है कि मंत्रिमंडीय सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं तथा उनका उत्तरदायित्व पूरे मंत्रिमंडल तथा पूरी सरकार पर होता है । आधुनिक व्यवस्था में कुछ ऐसे अवसर भी आते है जब किसी मंत्री को किसी मामले में स्वयं ही निर्णय करना पड़ता है किन्तु उसे यह ध्यान रहता हैं कि उसे अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त हैं । विवादास्पद मामले मंत्रिमंडल में लाये जाते हैं तथा उन पर वहां निर्णय किया जाता है ।

विपक्षी दल के कुछ सदस्यों ने व्यर्थ ही यह धारणा बनाई हैं कि सरकार में किसी प्रकार का मतभेद है । उन्होंने हममें फूट डालने की व्यर्थ प्रार्थनायें की हैं (व्यवधान) । मैं विपक्षी दल के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब वे इस संकटपूर्ण वर्ष में कुछ दाखिल नहीं कर पाये तो उन्हें आगामी कुछ महीनों में भी कुछ प्राप्त नहीं होगा ।

महोदय : मुझे अपने सदजियों और उनकी देश और जनता के प्रति सेवा पर भरोसा है और इसी कारण हम एक समय मिलकर कार्य करने में समर्थ हैं । मैं श्री द्विवेदी सें इस बात में सहमत हूँ कि सरकार को जितना काम अब तक कर लेना चाहिए था वह नहीं हो पाया ।

मैं स्वयं मानती हूं कि हम हर कार्य पूरा नहीं कर पाये । किन्तु प्रजातंत्र प्रणाली में प्रगति की गति उनकी तीव्र नहीं होती जितनी अन्य प्रकार हो सकते हैं । फिर भी मैं अपने उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ती तथा मानती हूँ कि हमें और गति से कार्य करना चाहिए ।

संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली में सारी शक्ति और सारे उत्तरदायित्व विधान मंडल पर होती है । बड़े देश में आर्थिक तथा सामाजिक जीवन सम्बन्धी शक्तियों तथा दायित्वों का विनियमत करने के लिए एक उचित व्यवस्था का होना अनिवार्य है । अतः मंत्री निःसन्देह प्रजा के सेवक हैं ।

प्रशासनिक संगठन में कुछ खामियां हो सकती हैं किन्तु सम्पूर्ण व्यवस्था को भ्रष्ट नहीं

कहा जा सकता क्योंकि प्रशासन में बहुत से अच्छे और पूर्ण कुशल व्यक्ति भी विद्यमान हैं जो किसी प्रकार विकसित देशों के प्रशासकों से कम कार्यकुशल नहीं हैं।

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इस समस्या पर सदन में वाद-विवाद हुआ है तथा देश इस बात का स्वयं फैसला करेगा कि इस सम्बन्ध में किस के भाषण उत्तेजनात्मक थे।

शरणार्थियों की समस्या भी एक गम्भीर तथा चिन्ताजनक समस्या है। सरकार उनको बसाने का पूरा प्रयत्न कर रही है और सरकार का उत्तरदायित्व भी हैं। जैसा कि मैंने श्री समर गुह को कलकत्ते में अपने दौरे के बीच बताया था। मेरा वह दौरा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था तथा वे उद्देश्य में थे कि दिल्ली में किए गए विभिन्न निर्णयों को क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं। इन निर्णयों में शरणार्थियों को बसाने का निर्णय भी सम्मिलित था।

इस अवसर पर मनीपुर के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता तो नहीं थी किन्तु चूंकि मामला उठाया गया हैं मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वहां 91 कानून तथा व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें चुनाव किये जा सकें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने भूमि सुधार के बारे में कुछ बातें कहीं हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि भूमि के सम्बन्ध में समता लाने के लिए केन्द्र और राज्यों में इतनी जागरूकता पहले कभी नहीं आई थी जितनी इस समय देखने को मिलती है।

कुछ महीने पहले हमने घोषणा की थी कि बंगाल में जिनके पास ऐसी भूमि है जिसे रख सकने के वे पात्र हैं तो उनसे उसे खाली नहीं कराया जायेगा। तथा उन्हें शीघ्र ही नियमित कर दिया जायेगा। इसी महीने के आरम्भ में पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक बनाया गया था तथा उनके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में से बर्गदारों का भाग 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है बशर्तें वे खाद आदि सभी चीजें आप ही लगाते हैं। जिन शर्तों के अन्तर्गत भूमिस्वामियों को भूमि को पुनःग्रहण करने की अनुमति दी गई है उन्हें वर्गदारों के अधिक अनुकूल बनाया गया है। जोत के अधिकार पित्रागत बना दिये गये हैं। भूमि की परिवार गत अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में एक नया कानून लाने का भी निर्णय किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से फालतू तथा बेकार पड़ी भूमि का पात्र जोतकर्ताओं में पुनः वितरण करने के कार्य को अधिक प्राथमिकता देने को कहा गया है। इस मामले में राज्य सरकार अधिकतम सीमा को पुनरक्षित कर रही है तथा वर्तमान कानून को शक्ति के साथ कार्यान्वित करा रही है। (व्यवधान) हजारों ऐसे भूस्वामियों को जिनके पास फालतू भूमि है नोटिस दिये जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा को पुनरक्षित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में काश्तकारों द्वारा भूस्वामियों को दिये जाने वाले किराये को घटाकर उत्पादन का छठां हिस्सा कर दिया गया है। यह मात्रा देश में सबसे कम है। अब बहुत वर्षों के बाद भूमि सुधार के कार्यान्वित होने की पूरी आशा बंध गई है।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में सभा में जो चिन्तायें व्यक्त की गई हैं मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं तथा मैं स्वयं भी चिंतित हूँ।

चालू वर्ष के लिए इस मामले में योजना बद्ध कार्यक्रम के लिए परिव्यय को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है जिससे रोजगार की स्थिति में कुछ प्रगति की जा सके। हम इस बात की जांच कर रहे है कि दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकों के कार्ड बनाये जायें जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं में काम दिया जा सके।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सवाल है उनके बारे में यह आलोचना नहीं की जा सकती कि उनसे छोटे किसानों या अन्य छोटे लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। मैं यह स्वीकार करती हूं कि अभी बहुत सी बातें पूरी करनी हैं।

कृषि कार्यों के लिए ऋण सम्बन्धी लोगों की संख्या जून 1969 के अन्त तक 1,34,849 रुपये थी जो मार्च, 1970 के अन्त तक 2,97,670 रुपये हो गई। इसी प्रकार जून 1969 में तक छोटे व्यापारियों तथा परचून व्यापारियों के लिए ऋण के लेखे 28,037 से बढ़कर मार्च, 1970 के अन्त तक 70,607 हो गये। मार्च, 1970 के अन्त तक ही ऋण लेने वाले स्वतः नियोजित व्यक्तियों की संख्या 22,030 हो गई जबकि जून 1969 तक इनकी संख्या 422 थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से इस प्रकार के व्यक्तियों को कुल ऋण की मात्रा से मार्च 1970 के अन्त तक 20.3 प्रतिशत ऋण दिया गया है जबकि जून 1969 तक यह प्रतिशतता केवल 14.6 थी।

लाइसेंस जारी किये जाने की बात को लेकर निराधार आरोप लगाये गये हैं कि मैंने इस बात को अपने अधिकार में ले लिया है। निर्णय यह किया गया है कि कुछ विशिष्ट मामलों पर आर्थिक समन्वय सम्बन्धी समिति में विचार विमर्श किया जायेगा जिसमें सभी सम्बद्ध मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होगा। अतः इसमें शक्ति के केन्द्रीय करण का कोई प्रश्न नहीं है वरन यह तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व सम्भालने का प्रश्न है। औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय को बेईमानी का उद्देश्य बताया गया है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यह दुष्टतापूर्ण आरोप है। देश के हित से बड़ा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है।

मेरी तुलना हिटलर, स्टैटिन आदि से की गई हैं किन्तु मेरा निवेदन है कि यदि वे और पुस्तकें पढ़ते तो उन्हें कुछ और नामों का भी पता लग जाता। वास्तव में हिटलर के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। घृणा, द्वेष और झूठ आदि बातें हमने दूसरों के लिए छोड़ दी हैं।

रूस की सहायता के संबंध में सदन में बार-बार आरोप लगाये जा रहे हैं जो नितांत निराधार है। यह आरोप नये नहीं हैं। मेरे पिताजी के विरुद्ध भी यह आरोप लगाये गये थे और अब मेरे विरुद्ध भी लगाये जा रहे हैं। मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि मुझे केवल भारत की जनता की चिंता है। और इन आरोपों मे सरकार सभी राष्ट्रों से मित्रता बनाये रखने से पीछे नहीं हटेगी क्योंकि हमारे राष्ट्र का इस में हित है। यदि यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा तो हम सभी राष्ट्रों का विरोध करने में भी नहीं सकुचा देगें। उदाहरण के लिए हमने एन०पी०टी० पर हस्ताक्षर नहीं किये।

हम गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे हैं। कुछ व्यक्तियों ने सोचा था कि सम्भवतः सरकार हार मान जायेगी। किन्तु मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हम अपनी नीतियों,

का चाहे वह विदेश नीति है अथवा आन्तरिक नीति है, पालन करते रहेंगे। आशा है सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार करेगी ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, the speech delivered by the Prime Minister today is a clear indication that she is escaping from the facts. Yesterday while I was speaking, at most all the Ministers were seen a appreciating my speech. Today no Minister is present here to defend the Government. We get a clear idea regarding the futile claim of the Prime Minister that there is unity among the Ministers, through the debate of the last three days.

Shri Dange has made his speech in ambiguous terms. On the one hand he says that this party cannot support the no-confidence motion, and on the other hand he says that they are not prepared to cast these confidence in the Government. He is really now between the horas of a dilemma.

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Mr. Speaker, Sir, please listen to me what I say.

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye : Shri Dange could not contradict even a single point presented by me.

Shri Bhogendra Jha*

Shri Madhu Limaye : I have told that the Prime Minister is concentrating political power in her hands. Shri Dange has admitted that. But he says that the economic concentration that has been increasing for the last two decades is reflected in the concentration of political Power also. Shri Dange himself has admitted that for the last one year there has been increasing concentration of power. But he is not supporting the motion.

The Prime Minister said that some personal allegation were levelled against her. I did not make any standerous remarks on any person. My allegations were based on political issues. The Chairman of Tourism who was a supporting the Government has said that "Power is concentrated as never before in the hands of the Prime Minister." On the one hand she swears in the name of socialism and at the same time Government is issuing licences to big capitalists like Birlas etc. The know that the Socialistic policies of this Government are were a show. As a result of all these things, today the gripe of monopoly in the entire Government is lightining up and economic and political concentration is assuming greater proportions.

The Prime Minister said that the cabinet secrerariat and Prime Minister Secretariat were not created by her. At that time there was not so much concentration of power in the Babinet Secretariat. But now electronics, scientific and Industrial Research, Personal Administration etc. are included in the Cabinet Secretariat. The finance Department was within the hands of the Prime Minister for one year. There is an overall increase by 12 percent in the deposit, but there is an amazing increase of 17 percent in credit given to speculators. She had beeen repeatedly saying that the Government would not allow the price of essential commodities to rise up. But this is also proved to be futile promise.

I have said that this Government is responsible for devaluation. But quite cunningly, they imposed the whole responsibility for devaluation on the shoulders of Shri Ashok

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.